संख्या-40/2024/2036/22-2-2023-17(1379)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखदीन, निवासी जनपद-रायबरेली वर्तमान जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखदीन, पाकरगांव, थाना-मोहनगंज, जनपद-रायबरेली वर्तमान जनपद-अमेठी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 03.11.1983 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रायबरेली के आदेश दिनांक 25.09.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.01.2014 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने मे अशक्त नहीं होने, संज्ञेय अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किये जा सकने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा अपरिहार 08 वर्ष 10 माह 14 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष 04 माह 24 दिन की भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति (03 हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-329/2019 पुत्र श्री सुखदीन, निवासी जनपद-रायबरेली वर्तमान जनपद-अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-40/2024/2036(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली/अमेठी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-5780/2023 ओमप्रकाश शुक्ला उर्फ ओम प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2023 एवं अवमानना एप्लीकेशन (सिविल) संख्या-3905/2023 ओमप्रकाश शुक्ला उर्फ ओम प्रकाश बनाम श्री राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in